भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5514

उत्तर देने की तारीख : 05.04.2022

वरिष्ठ नागरिकों का पोषण स्तर

5514. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री केसिनेनी श्रीनिवास:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और वर्ष 2036 में वरिष्ठ नागरिकों की अनुमानित जनसंख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों के पोषण स्तर की निगरानी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा नोट की गई कोई विसंगतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मानना है कि हस्तक्षेपों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की पोषण स्थिति में सुधार से उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए रोगों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के पोषण स्तर को मजबूत करने के उद्देश्य से कोई योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): जनगणना 2011 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का कुल जनसंख्या 8.4 प्रतिशत थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 'तकनीकी समूह की जनसंख्या पूर्वानुमान रिपोर्ट-जुलाई, 2020' में वर्ष 2021 में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 13.75 करोड़ (कुल जनसंख्या का 10.1 प्रतिशत) और वर्ष 2036 में 22.74 करोड़ (कुल जनसंख्या का 14.9 प्रतिशत) के होने का पूर्वानुमान लगाया गया है।

(ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की "लांगिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (एलएएसआई)" वेव-I (2017-18) रिपोर्ट में देश में वरिष्ठ नागरिकों के पोषण स्तर का आकलन किया गया है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों में से एक चौथाई से ज्यादा व्यक्तियों का वजन कम (27 प्रतिशत) है और 1/5 बुजुर्गों का वजन अधिक है/मोटापापन (22 प्रतिशत) हैं जो यह दर्शाता है कि भारत में बुजुर्गों में अल्पपोषण और अतिपोषण का दुगना बोझ है।

(ग): बुजुर्गों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता सृजित करने की दृष्टि से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने [राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम (एनपीएससीई) के अंतर्गत] बुजुर्गों के आयु समूह में पोषण संबंधी पहलुओं सहित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री विकसित की है और उसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया है।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम संबंधी स्कीम पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत एनजीओ, स्वयंसेवी संगठनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों के संचालन और रखरखाव के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इन गृहों में रहने वाले निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को पोषण, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, वस्त्र, मनोरंजन आदि की सुविधाएं स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए प्रदान की जाती हैं।

*****